प्रेस विज्ञप्ति
27/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 27/03/2025 को मेसर्स कल्पतरु ग्रुप कंपनियों और समूह से जुड़ी संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत 6.17 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 03 अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है। सभी अचल संपत्तियां भूमि के रूप में अहमदाबाद (गुजरात) और कन्नौज (उप्र) में स्थित हैं।

ईडी ने कल्पतरु ग्रुप और संबंधित संस्थाओं द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी, धन के गबन आदि के कई मामलों के संबंध में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत भारत भर के कई राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स केबीसीएल (कल्पतरु) बिल्डटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड) और इसके निदेशकों/एजेंटों/प्रबंधकों ने निवेश और आवासीय/वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के नाम पर जनता से 681 करोड़ रुपये की भारी जमा राशि एकत्र की थी और बाद में परिपक्वता राशि और भूखंडों के आवंटन के भुगतान में चूक की और इस राशि का उपयोग कल्पतरु समूह की कंपनियों के साथ-साथ उनके निदेशकों/एजेंटों/प्रबंधकों के नाम पर संपत्ति बनाने के लिए किया गया था। जांच के दौरान, ईडी ने पहले ही 113 करोड़ रुपये की 440 अचल संपत्तियां कुर्क कर ली थीं।

ईडी ने 13.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष जय किशन सिंह राणा और उनके 29 अन्य सहयोगियों सहित 20 कल्पतरु समूह कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।